न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 09/2025 आर्म्स अपील (GCMS/2025/221)
पंजीयन दिनांक – 26.09.2025
निर्णय दिनांक – 25.02.2026

विक्रम सिंह पिता श्री माधव सिंह चौहान, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी वागदरी, तहसील पाल देवल, जिला डूंगरपुर

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर (राज.)

–प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः–

1. अपीलांट स्वयं
2. राजकीय पेरोकार मुरलीधर पालीवाल – वकील प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा–18 आयुध अधिनियम, 1959 विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक न्याय/एफएन. 21(2)आर्म्स/विविध/12/1176 दिनांक 28.08.2025

निर्णय

दिनांक 25.02.2026

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा–18 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के आदेश न्याय/एफएन. 21(2)आर्म्स/विविध/12/1176 दिनांक 28.08.2025 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

- अपीलार्थी ने आर्म्स अनुज्ञापत्र संख्या 01/2022/डीएम/डीपीआर नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर को प्रस्तुत किया। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर से रिपोर्ट ली जाकर आर्म्स अनुज्ञाधारी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 220/22.11.2023 धारा 341, 323, 504 आई.पी.सी. में दर्ज होकर चालान नम्बर 220/27.12.2023 हो माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने, समस्त दर्ज धाराएं मानव शरीर को क्षति कारित करने से संबंधित होने तथा शस्त्र अनुज्ञाधारी के पास रखा जाना लोक हित एवं कानून व्यवस्था के दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होने से प्रस्तुत नवीनीकरण आवेदन जिला मजिस्ट्रेट,

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

डूंगरपुर द्वारा आदेश क्रमांक न्याय/एफएन.21(2)आर्म्स/विविध/12/1176 दिनांक 28.08.2025 से निलम्बित किया गया।

- उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर से अभिलेख तलब किया गया। अपीलांट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।
- अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी सेवानिवृत्त कर्मचारी होकर शांतिप्रिय एवं कानून की पूर्णत पालना करने वाला व्यक्ति है। अपीलांट के विरूद्ध कभी भी आर्म्स का दुरूपयोग करने की कोई शिकायत नहीं रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 220/2023 के संबंध में किसी भी न्यायालय में पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही न्यायालय में ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन है।
- अपीलांट के विरूद्ध जो प्रकरण दर्ज होना बताया जा रहा है वह पारिवारिक अनबन एवं पुश्तेनी जमीन विवाद को लेकर मिथ्या दर्ज करवायी है। फरियादी के व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलांट ने धारा 447, 323, 34 आईपीसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट 0279/2023 दर्ज करवायी है जिसमें झूठी प्रतिरक्षा करने के लिए उक्त वर्णित प्रथम सूचना संख्या 220/2023 अपीलांट के विरूद्ध दर्ज कराई गई है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण आपराधिक दुराशय का न होकर सम्पत्ति संबंधी दिवानी विवाद है। आरोपित अपराध जघन्य/गंभीर प्रकृति का न होकर सामान्य प्रकृति का है।
- अपीलार्थी कृषि कार्य से अपना जीवन यापन कर रहा है जिससे खेतों व फसलों की नीलगाय, जंगली सुअर, सियाल आदि से रक्षा करने एवं चोर चकारों से रक्षा करने के लिए तथा अपने परिवार की जानमाल की रक्षा के लिए आर्म्स की अत्यन्त आवश्यकता है। अपीलार्थी के गांव से करीब 12 कि.मी. दूर पुलिस थाना सदर है इसलिए अपीलार्थी को सुरक्षा के लिए बंदूक की हर समय आवश्यकता रहती है। जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा अपीलार्थी का आर्म्स अनुज्ञा पत्र बिना किसी आधार एवं नियमों के विरूद्ध निलम्बित कर दिया। अतः उक्त आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर सत्यमेव जयते

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

- विद्वान राजकीय पेरोकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।
- *हमने उपस्थित पक्षकारान की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन एवं मनन किया। प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा दिनांक 28.08.2025 को जिला पुलिस अधीक्षक की दिनांक 20.01.2025 व दिनांक 08.07.2025 की रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निलम्बित किया गया जिसमें प्रकरण संख्या 220 दिनांक 22.11.2023 धारा 341, 323, 504 आई.पी.सी. में दर्ज चालान नम्बर 220 दिनांक 27.12.2023 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने को आधार मानते हुए बगैर अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुतीकरण का मौका दिए आदेश पारित कर दिया गया।*

उपरोक्त पृष्ठभूमि में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कथित लम्बित प्रकरण की अद्यतन स्थिति ज्ञात की जाकर, अपीलार्थी को न्यायहित में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए समस्त पहलुओं का विश्लेषण किया जाकर, नए सिरे से 03 माह में निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थी दिनांक 30.03.2026 को सुनवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के समक्ष उपस्थित हों।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
सभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)